फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

मैसर्स मनुकृति बिल्डकॉन बनाम सहायक कलक्टर बस्सी व अन्य

केस संख्या : 182/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
26.09.2024	अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल सैनी ने वकालतनामा व शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि सहायक कलक्टर बस्सी की पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन आर॰ए॰एस॰ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है जिससे मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभावशून्य हो गया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को आज ही खारिज फरमावे। अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 173/2024 व टी॰आई॰ प्रार्थना पत्र संख्या 154./2024 ब उनवानी हेमा उर्फ आरती बनाम भौरीलाल व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन आर॰ए॰एस॰ से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक कलक्टर बस्सी की पीठासीन अधिकारी श्रीमती कनक जैन आर॰ए॰एस॰ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	